5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

5रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(38)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्र. /2018/रिवीजन (पी.बी.आर.)

निगरानी – 5856/2018/ग्वालियर/भू.रा.

1– मु. कमला बाई बेवा स्व. श्री जहान सिंह आयुं 70 वर्ष

2– वासुदेव सिंह, आयु 50 वर्ष,

3– प्रकाश पुत्रगण स्व. श्री जहान सिंह आयु 38 वर्ष जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम गिरगांव तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

—— आवेदकगण

बनाम

विजेन्द्र सिंह पुत्र श्री नवाब सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम गिरगांव तहसील व जिला ग्वालियर (म.प्र.) —— अनावेदक

... सिंह आदि
... 25-9-18
आज दिनांक ... प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 4-10-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभगीय अधिकारी क्षेत्र मुरार सिटी जिला ग्वालियर द्वारा प्र.क्र. 12/2016–17/अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 27.04.2018 एवं 23.01.2018 से व्यथित होकर के।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5856/2018/ग्वालियर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-10-2018	आवेदक की ओर से श्री रणवीर सिंह, अभिभाषक उपस्थित । आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाता है । अध्यक्ष	